



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 239 राँची, मंगलवार, 10 वैशाख, 1946 (श०)
30 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 मार्च, 2024

संख्या-5/आरोप-1-155/2017 का.-25010(HRMS)--श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-839/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5397, दिनांक- 23.10.2017 के माध्यम से उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक- 488/स्था0, दिनांक- 29.08.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या-01:- आपके द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के पद का प्रभार प्रपत्र 202 में दिनांक 15-12-16 को ग्रहण किया गया है। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात आपके द्वारा रोकड़ बही का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है जबकि पूर्ववर्ती जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा 15-12-16 तक रोकड़ बही का सत्यापन कर दिया गया है ।

प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 16-12-16 से दिनांक 17-04-17 तक की अवधि में रोकड़ बही का सत्यापन आपके द्वारा नहीं किया गया है जिस कारण उक्त अवधि में किये गये वित्तीय लेन देन असत्यापित हैं। आपका यह कृत्य आपकी स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है ।

आरोप संख्या-02:- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-5/नागरिक सुरक्षा अधि-05/2014-418 दिनांक 20-12-16 द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1855 के प्रचार प्रसार नियमावली के मुद्रण एवं प्रशासनिक तंत्र के सुदृढीकरण हेतु 1.00 लाख उपलब्ध कराई गई थी। आपके द्वारा बिना कार्यादेश निर्गत किये और कार्य कराये एजेंसी से अभिश्रव प्राप्त कर 97300.00 राशि की निकासी कर ली गयी जो वित्तीय अनियमितता है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11181, दिनांक 07.11.2017 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री प्रसाद के द्वारा दिनांक- 25.06.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6420, दिनांक 23.08.2018 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से मंतव्य की मांग की गयी ।

3. उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक- 467, दिनांक 29.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को संतोषप्रद प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया। समीक्षोपरांत पुनः विभागीय पत्रांक- 3172 दिनांक- 18.04.2019 के द्वारा रोकड़ पंजी अद्यतन न होने अथवा रोकड़ पंजी पर जिला कल्याण पदाधिकारी का सत्यापन न होने के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मों को चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक- 148/स्था0, दिनांक- 15.05.2023 के साथ संलग्न पत्रांक- 08/स्था0 दिनांक- 07.01.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-22656(HRMS), दिनांक-21.07.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-119 दिनांक 29.12.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

6. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अनुज कुमार प्रसाद, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-839/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANUJ KUMAR PRASAD JHK/JAS/100	श्री अनुज कुमार प्रसाद, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-839/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
